न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 09/प्रा.पत्र/2023 (GCMS No. 2023/15)	16.01.2023	16.12.2024

प्रभूलाल आ. प्यारा जाति कराड़
निवासी ग्राम सूतड़ा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

— प्रार्थी

बनाम

देवा आ. हीरा जाति भील नि.सूतड़ा तह.तालेडा, जिला बूंदी
मृतक जर्ये कायम मुकामान —
1. हजारी आ. देवा जाति भील नि. सूतडा, तहसील तालेडा
2. चमना आ. देवा जाति भील नि. सूतडा, तहसील तालेडा
मृतक जर्ये कायम मुकामान —
2/1. फोरू आ. चमना जाति भील नि. सूतडा, तहसील तालेडा
2/2. सोहन आ. चमना जाति भील नि. सूतडा, तहसील तालेडा
2/3. नन्दूबाई पुत्री चमना जाति भील नि. सूतडा, तहसील तालेडा
2/4. लाड़बाई पुत्री चमना जाति भील नि. सूतडा, तहसील तालेडा
2/5. मोडीबाई पुत्री चमना जाति भील नि.सूतडा, तहसील तालेडा
2/6. चन्दालाल पुत्र चमना जाति भील नि.सूतडा, तहसील तालेडा
3. आवंटन परामर्शदात्री समिति जर्ये उपखण्ड अधिकारी बून्दी

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1, 2/1, 2/2, 2/6 की ओर से श्री लीलाधर सिंह एड0
अप्रार्थी सं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलेक्टर, बून्दी

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र श्री देवा वल्द हीरा कौम भील निवासी सूतडा को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 695 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा वाकेग्राम सूतड़ा आवंटन आदेश दिनांक 06.12.1975 को निरस्त किये जाने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 09/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2023/15 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। जिला अभिलेखागार से आवंटन पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. बाद सुनवाई उभयपक्ष अस्वीकार किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम धनेश्वर द्वारा पत्रावली संख्या 1682/आवंटन/75 के जरिये कृषि भूमि खसरा नं. 695 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा वाकेग्राम सूतडा का आवंटन देवा आ. हीरा कौम भील निवासी सूतडा के पक्ष में किया गया था। आवंटी देवा आ. हीरा का अपने जीवनकाल में कभी भी आवंटित खसरा संख्या 695 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवंटन होने के पश्चात भी उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा प्राप्त नहीं किया था और न ही उक्त भूमि को कभी काश्त किया है। आवंटी देवा आ. हीरा की मृत्यु हो चुकी है, जिसके 02 पुत्र फोरू व चमना का भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है। इनमें से भी चमना की भी मृत्यु हो चुकी है। उक्त भूमि को प्रार्थी के पिता ने खाल दरडो से आबाद कर काफी रकम खर्च करके समतल बनाया है। इस तरह से उक्त खसरा सं. 695 पर आवंटन से लेकर आज दिन तक करीब 47 वर्षो से आवंटी व उसके वारिसान का कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता प्यारा व उनके बाद प्रार्थी प्रभूलाल का करीब 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त है। भूमि पर मकान बने हुये होने से भूमि कृषि योग्य नहीं है। इस कारण आवंटी द्वारा उक्त भूमि पर कभी भी काश्तकारी नहीं की गई, जिससे आवंटन की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार तालेडा द्वारा हल्का पटवारी से भूमि वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई। पटवारी द्वारा ग्रामवासियों के समक्ष दिनांक 04.03.2022 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें स्पष्ट अंकित है कि मौके पर उक्त खसरें में गैर खातेदार का कब्जा नहीं है एवं थोडी थोडी दूरी पर तीन मकान बने

जिला कलेक्टर; बून्दी

हुये है जो प्रभूलाल पुत्र प्यारा जाति कराड निवासी सूतडा, नन्दलाल पुत्र प्यारा जाति कराड निवासी सूतडा एवं सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मण राठोर का अधूरा मकान बना हुआ है। आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा उक्त भूमि आवंटन के लिये सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नहीं की गयी थी। आवंटी द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष अपने एवं अपने परिवार के खाते बाबत पूर्ण विवरण प्रकट नहीं करना कपटपूर्ण है। इस आधार पर उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी को उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.12.2022 को पटवारी हल्का द्वारा देने पर हुई। प्रार्थी द्वारा उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 29.12.2022 को नकल प्राप्त होते ही यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर देवा आ. हीरा भील के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम धनेश्वर द्वारा दिनांक 06.12.1975 को अप्रार्थी सं.1 के पिता देवा आ. हीरा कौम भील निवासी सूतडा को सम्पूर्ण जांच उपरान्त आवंटन का पात्र मानते हुऐ प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात आवंटी को 02 गवाह उदा और रामा की उपस्थिति में आवंटित भूमि का कब्जा दिया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया है। उक्त कृषि भूमि पर वर्तमान में भी गैर खातेदार के वारिसान काबिज काश्त है। राजस्थान कृषि भूमि आवंटन अधिनियम,1970 के तहत आवंटन के 3 वर्ष बाद गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान है, जिसके अनुसार आवंटी 3 वर्ष बाद कानूनन गैर खातेदार से स्वतः खातेदार बन चुका है। उक्त आवंटन को 48 वर्ष हो चुके है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को शुरू से रही है। प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में मियाद को कन्डोन करने के लिए न तो धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया और न ही विलम्ब का कोई कारण बताया गया है। ऐसे में प्रार्थी द्वारा गंभीर रूप से मियाद बाहर पेश किया गया प्रार्थना पत्र अवधि बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे ज्ञात हुआ कि देवा आ. हीरा कौम भील निवासी सूतड़ा को मिसल नं. 1682 दिनांक 06.12.1975 को भूमि खसरा सं. 647 रकबा 15 बिस्वा, ख.सं. 652 रकबा 17 बिस्वा, ख.सं. 695 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाकेग्राम सूतड़ा का आवंटन किया गया है। आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध

जिला कलक्टर, बून्दी

हल्का पटवारी एवं गिरदावर से प्रमाणित कब्जा देने की रिपोर्ट दिनांक 06.12.1975 के अनुसार गवाह उदा पुत्र नाथू मीना निवासी सूतडा एवं गवाह रामा पुत्र कुका कुम्हार निवासी सूतडा की उपस्थिति में उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी देवा आ. हीरा जाति भील निवासी सूतडा को मौके पर कब्जा संभलाया जाना अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2076 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 1205/652 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, ख.सं. 647 रकबा 0.1214 हैक्टेयर एवं ख.सं. 695 रकबा 0.2266 हैक्टेयर पर देवा पुत्र हीरा जाति भील गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से प्रकट है कि प्रार्थी प्रभूलाल आ. प्यारा जाति कराड़ द्वारा तहसीलदार तालेडा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2022 के संदर्भ में तहसीलदार तालेडा द्वारा पटवारी हल्का धनेश्वर से रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 04.03.2022 को गवाहान की उपस्थिति में ग्राम सूतडा के खसरा संख्या 695 की तैयार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त खसरें में गैर खातेदार देवा पुत्र हीरा जाति भील निवासी सूतडा का कब्जा नहीं है एवं थोडी थोडी दूरी पर तीन मकान बने हुए है। प्रभुलाल पुत्र प्यारा जाति कराड, नन्दलाल पि. प्यारा जाति कराड एं सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मण राठौर द्वारा अधूरे मकान बने हुए है। उक्त मौका रिपोर्ट के मद्देनजर प्रकरण में तहसीलदार तालेडा से गैर खातेदार द्वारा आवंटन शर्तो की पालना के संबंध में जांच करवाया जाना उचित प्रतीत है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश प्रदान किये जाते है कि प्रकरण में वादग्रस्त कृषि भूमि की मौका जांच की जावे कि गैर खातेदार देवा आ. हीरा जाति भील निवासी सूतडा तथा उसके विधिक वारिसान द्वारा आवंटित भूमि बाबत आवंटन की शर्तो की पालना की जा रही है या नहीं ? यदि आवंटी एवं उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही हो, तो नियमानुसार प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 16.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी